

नवाभारत





गांव-गांव तक पक्की सड़क, पक्के इरादे

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बीते साढ़े 11 वर्षों में 4.06 लाख किलोमीटर लंबाई की 82,000+ ग्रामीण सड़कें बनीं जिनसे गांवों को मिली बारहमासी कनेक्टिविटी

ग्रामीण विकास से राष्ट्र निर्माण

CBC 35101/13/0048/2526



मादुरो से हो रही पूछताछ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपात बैठक

न्यूयॉर्क, 05 जनवरी. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अमेरिकी अधिकारियों ने रविवार को न्यूयॉर्क के एक हिरासत केंद्र में उनसे पूछताछ शुरू कर दी. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, मादुरो को मेट्रोपॉलिटन डिटेनशन सेंटर (एमडीसी) में रखा गया है, जहां उनसे कथित ड्रग-तस्करी से जुड़े आरोपों पर पूछताछ की जा रही है. अमेरिका द्वारा जारी एक वीडियो में मादुरो को हथकड़ी लगाए हिरासत में ले जाते हुए दिखाया गया, जिस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

बताया गया है कि अमेरिका ने शनिवार को एक विशेष ऑपरेशन के तहत काराकास स्थित एक सुरक्षित आवास से मादुरो और



उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को आपात बैठक बुलाने का निर्णय लिया है.

इस घटनाक्रम पर विश्व नेताओं की प्रतिक्रियाएं बंटी हुईं नजर आईं. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने संयम बरतने की अपील की, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोर स्टारमर ने तथ्यों की स्पष्टता और

अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कार्रवाई का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व की सराहना की.

वहीं, चीन, रूस, ईरान और फ्रांस ने इस ऑपरेशन को कड़ी निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया. जर्मनी ने तनाव न बढ़ाने और लोकतांत्रिक समाधान की वकालत की. अमेरिका के भीतर भी इस कार्रवाई पर सवाल उठे हैं. पूर्व



निकोलस मादुरो के बेटे निकोलस मादुरो गुपरा ने कहा पिता की गिरफ्तारी पर मां की कसम खाते हुए कहा कि वे हार नहीं मानेंगे और कानूनी व राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे. घटनाक्रम से वैश्विक राजनीति में नए तनाव के संकेत मिल रहे हैं.

उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और न्यूयॉर्क के मेयर जोहानन ममदानी ने इसे गैरकानूनी बताया.

दुनिया दो खेमों में बंटी: वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई पर विवाद

वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गहरा विवाद खड़ा कर दिया है. अमेरिका की आलोचना करने वाले देशों में रूस, चीन, ईरान, क्यूबा, ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, बेलारूस, उरुग्वे, स्लोवाकिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, घाना और सिंगापुर शामिल हैं. ये देश इसे अंतराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहे हैं.

ईडी ने 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के अधिकारियों से जुड़े एक मामले में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. ईडी के सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों से जब्त की गई संपत्तियों में बिहार और दिल्ली में आवास तथा जमीन, साथ ही बैंक बैलेंस, सोने एवं चांदी के गहने तथा बीमा पॉलिसी में निवेश शामिल हैं. ये संपत्तियां बिहार के पटना में एनएचआई के तत्कालीन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) प्रभाशु शेखर ने अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भ्रष्टाचार के जरिए हासिल की थीं. उन्होंने बताया कि ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के पटना में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी जांच शुरू की. सीबीआई के आरोपपत्र में पता चला कि शेखर ने 4.07 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की थी.

यूपी चुनाव : 2027 का रोडमैप तैयार

मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली, 5 जनवरी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और बैठक की तस्वीरें जारी कीं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया. उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री का पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और गति देने के लिए सदैव नई ऊर्जा का संचार करता है. सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों, केंद्र और राज्य के समन्वय तथा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री की भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की है. हालांकि पीएमओ ने बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया.



यूपी में मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री हो सकते हैं शामिल

जानकारी के अनुसार खरमास के बाद योगी मंत्रिमंडल में करीब 6 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं. निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है. बाह्यण समाज से मनोज पांडे, वदमासन सेन चौधरी, आशीष कुमार उर्फ आशु कुर्मी समाज, भूपेंद्र चौधरी और पूजा पाल सहित सात मंत्रियों को आगामी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है.

योगी का बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती में तीन साल की विशेष छूट

लखनऊ. पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस एवं जेल विभाग की सीधी भर्ती-2025 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की विशेष छूट दी गई है. सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 25 वर्ष कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 28 वर्ष कर दी गई है.

एक नजर में



सुल्तानपुर में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश ढेर

सुल्तानपुर. छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म समेत 17 आरोपों के मामले में वांछित शांति अपराधी तालिब उर्फ आजम खां रविवार देर रात सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया. लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने लथुआ कोतवाली क्षेत्र के दिवरा मोड़ के पास उसे घेर लिया था. खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में उसे सीपचसी लथुआ ले जाया गया.

उच्च न्यायालयों में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति

नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना, इलाहाबाद और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में चार न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से की गई हैं. पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रितेश कुमार और प्रवीन कुमार को न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता जय कृष्ण उपाध्याय और उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सिद्धार्थ साह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इन नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायपालिका में कुशल और अनुभवी व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके.

गुस्ताखी माफ

मि. मोडी ! आपने खुझे खुश कर दिया !!

..अब आप भी हमें खुश कर दीजिये !



भारत और यूएई के बीच रक्षा में बढ़ेगा सहयोग

जनरल द्विवेदी ने यूएई में रक्षा सहयोग बढ़ाया

भारत-यूएई द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत हुए

नई दिल्ली, 05 जनवरी. संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गये सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने सोमवार को वहां की सेना के कमांडर मेजर जनरल स्टाफ यूसुफ मयूफ सईद अल हल्लामी से मुलाकात की.

सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के दौरान सकारात्मक सैन्य सहभागिता को और मजबूत



करने, प्रशिक्षण में समन्वय बढ़ाने तथा भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई.

जनरल चौहान ने अमीरात के सेना संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने वहां की थल सेना के समृद्ध इतिहास, परंपराओं

और सैन्य विरासत के बारे में जानकारी हासिल की. इससे पहले जनरल द्विवेदी ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मिश्राल से भी मुलाकात की. सेना प्रमुख आठ जनवरी तक संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर हैं.

रूस से तेल आयात पर ट्रंप की भारत को चेतावनी, शुल्क बढ़ाने के संकेत

वाशिंगटन, 05 जनवरी. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत को कड़ा संदेश देते हुए आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी दी है. उन्होंने संकेत दिया कि वाशिंगटन इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई कर सकता है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनकी नाराजगी से भली-भांति अवगत हैं.

एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा



व्यापार को लेकर मैं खुश नहीं हूं. वह एक अच्छे इंसान हैं और समझते हैं कि अमेरिका के साथ व्यापार में मेरी संतुष्टि कितनी महत्वपूर्ण है. हम भारत पर बहुत जल्दी शुल्क बढ़ा सकते हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं जारी हैं.

न्यायाधीश जमानत देने में कतरा रहे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा— डर का माहौल न्यायिक स्वतंत्रता को कर रहा खत्म

नई दिल्ली, 05 जनवरी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि देशभर की निचली अदालतों के न्यायाधीश जमानत देने में कतरा रहे हैं और ऐसा मामलों में योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के निरंतर डर के कारण हो रहा है.

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन



की पीठ ने चेतावनी दी कि डर का यह माहौल जिला स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है. इसी वजह से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जमानत याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है.

पीठ ने पाया कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ केवल संदेह के आधार पर या विवेक के कथित गलत इस्तेमाल के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों में हिचकिचाहट पैदा हो गई है और वे उन मामलों में भी जमानत देने से डर रहे हैं जहां कानून स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति देता है. न्यायालय ने आगाह किया कि ऐसा दृष्टिकोण न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकता है.



उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत से इनकार

पांच आरोपियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी

दोनों के खिलाफ अपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत

नई दिल्ली, 5 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में प्रमुख आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दोनों की कथित आपराधिक साजिश में संलिप्तता को दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत पेश किए हैं. हालांकि, कोर्ट ने दंगों से जुड़े अन्य पांच आरोपियों को 12 कड़ी शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है.

यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2 सितंबर को जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों पर आया है. मामले में 10 दिसंबर 2025 को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को एक समान दृष्टि से नहीं देखा जा सकता. अदालत के अनुसार, उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर प्रतीत होती है. कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए कहा कि मुकदमे से पहले लंबी हिरासत के लिए राज्य को ठोस आधार दिखाने होते हैं, जो इस स्तर पर मौजूद हैं.

2020 दंगे और जांच का दावा

गौरतलब है कि 24 फरवरी 2020 को CAA और NRC के विरोध के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 53 लोगों की मौत और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. जांच एजेंसियों के अनुसार यह हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसे राज्य को अस्थिर करने का प्रयास बताया है.